

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(मुरारी लाल शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

16 / 2021
18.08.2021

बद्री पुत्र बोदू जाति बैरवा निवासी कुराड तहसील मालपुरा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मालपुरा
दिनांक 26.02.2021 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री रामअवतार शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री हंसराज चौधरी, नायब तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोजेण्ट

निर्णय


दिनांक 26.10.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2021 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1051 से रकबा 1.00 बीघा किस्म बरानी-3 वाके ग्राम कुराड पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है। अपीलांट ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है



1023

राजस्थान जिला कलेक्टर
टोंक

कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी बारानी-3 भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1051 में से रकबा 1.00 बीघा किस्म बारानी-3 वाले ग्राम कुराड तहसील मालपुरा पर चना की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय परोकार ने भी अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2021 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलान्ट कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। नायब तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



26.10.2021
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त न्यायाधीश, दोंबिवली
दोंबिवली